भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् कार्यपालन अभियंता, इंवेस्टिगेशन डिविजन गढ़वा, जिला–गढ़वा (झारखण्ड) द्वारा ग्राम – खुरी के निकट, ब्लाक–चिनीया, जिला–गढ़वा (झारखण्ड) में कन्हर नदी में प्रस्तावित कन्हर बैराज प्रोजेक्ट के निर्माण के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 14/03/2018, समय– प्रातः 11:00 बजे, स्थल– ग्राम अनिरूद्धपुर (ग्राम पंचायत भवन के पास), ब्लाक–रामचन्द्रपुर, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितम्बर 2006 के प्रावधानों के तहत् कार्यपालन अभियंता, इंवेस्टिगेशन डिविजन गढ़वा, जिला–गढ़वा (झारखण्ड) द्वारा ग्राम – खुरी के निकट, ब्लाक–चिनीया, जिला–गढ़वा (झारखण्ड) में कन्हर नदी में प्रस्तावित कन्हर बैराज प्रोजेक्ट के निर्माण के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बावत् श्री एम. एल. धृतलहरे, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, बलरामपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, अंबिकापुर की उपस्थिति में दिनांक 14/03/2018, समय– प्रातः 11:00 बजे, स्थल– ग्राम अनिरूद्धपुर (ग्राम पंचायत भवन के पास), ब्लाक–रामचन्द्रपुर, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) में लोक सुनवाई प्रारम्भ हुई ।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यपालन अभियंता, इंवेस्टिगेशन डिविजन गढ़वा, जिला–गढ़वा (झारखण्ड) द्वारा ग्राम – खुरी के निकट, ब्लाक–चिनीया, जिला–गढ़वा (झारखण्ड) में कन्हर नदी में प्रस्तावित कन्हर बैराज प्रोजेक्ट के निर्माण के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर में दिनांक 27.02.2017, 17.05.2017 एवं 25.11.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। मुख्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर द्वारा पत्र दिनांक 19/12/2017 को परियोजना की लोकसुनवाई कराने हेतु निर्देश दिये गये। कार्यालय कलेक्टर बलरामपुर, जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज के पत्र दिनांक 31.01.2018 के द्वारा परियोजना की लोकसुनवाई की तिथि दिनांक 14/03/2018, समय– प्रातः 11:00 बजे, स्थल– ग्राम अनिरूद्धपुर (ग्राम पंचायत भवन के पास), ब्लाक–रामचन्द्रपुर जिला–बलरामपुर– रामानुजगंज (छ.ग.) में नियत की गई। भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 (यथा

संशोधित) के परिपालन में दिनांक 11.02.2018 को राष्ट्रीय समाचार पत्र 'द इंडियन एक्सप्रेस', दैनिक समाचार पत्र 'नव भारत' मे दिनांक 09.02.2018 एवं स्थानीय समाचार पत्र 'अंबिकावाणी' में दिनांक 08.02.2018 को 30 दिवस पूर्व लोकसुनवाई की ''सर्व संबंधितों को सूचना'' प्रकाशित कराई गयी। ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालिक सार की हिन्दी व अंग्रेजी प्रतियां सीडी सहित अवलोकनार्थ कार्यालय कलेक्टर बलरामपुर, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बलरामपुर, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रामानुजगंज, कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बलरामपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल नवापारा अंबिकापुर जिला–सरगुजा, कार्यालय ग्राम पंचायत–पंचायत–अनिरूद्धपुर एवं कलिकापुर तहसील–रामचन्द्रपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.) कार्यालय डॉयरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य जोन),पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भू–तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, पर्यावास भवन, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी।

ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लोक सुनवाई आज दिनांक 14/03/2018 को आयोजित की गयी है। अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन सामान्य के समक्ष परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/प्रस्तुतीकरण हेतु आमंत्रित किया गया। परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री सुमित वर्मा, इंजीनियर मेसर्स मेन्टेक कंसल्टेन्ट नोएडा द्वारा परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से प्रस्तावित परियोजना के संबंध में अपने सुझाव/विचार /टीका–टिप्पणी व्यक्त करने हेतु आग्रह किया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां दर्ज की गई :–

क.	वक्ता का नाम	पता	कथन
1	मो. इदरीश	अनिरूद्धपुर	मेरा इस बांध से आपत्ति है। हमको यह पता नही चल रहा है कि यह जो बांध बन रही है तो हम लोगो को बरबाद करके दूसरे इलाकों को आबाद किया जा रहा है। यह मेरे समझ से तो अच्छा नही है। जो कि मतलब हम बरबाद हो और दूसरे आबाद। मेरे को उसमे कोई लाभ नही है। केवल बाल बच्चे लेकर जंगल पकड़ना पड़ेगा। जो सर्वे करने आये थे हर गांव मे मात्र 1–2 मुद्दा को खड़ा किये है जैसे पुरा गांव डुब रहा है तो एक आदमी का मुआवजा बना दिये। पुरे गांव की कोई

			जरुरत नही है, एक आदमी को मुआवजा मिल गया, दो आदमी को मुआवजा मिल गया। सर्वे करके खुटां गाड़ के चले गये। लेकीन जिस समय बाढ़ का पानी आता है इस नदी मे तो हम लोग बाल बच्चे लेकर जंगल पहाड़ी मे बैठते है । तो आज जो वह पानी रोक हो जायेगा तो क्या होगा इस इलाके का कोई ठिकाना नही है। इसलिए मेरा तहे दिल से गुजारिश है कि ये बांध न बने तो कही हम लोगों का भलाई है। वरना इस बांध से हम लोगो को कोई लाभ नही है। मेरे समझ से तो यही लग रहा है कि हम जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। मेरी गुजारिश है कि बांध न बने, क्योंकि इसमें कोई लाभ नहीं है।
2	मो. अंसारी, जनपद पंचायत सदस्य	रामचन्द्रपुर	यहा पर वर्षो से जो मांग है वह पुलिया का रहा है और कई बार शासन–सत्ता के द्वारा पुल बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और उसको पास भी किया गया और निर्माण कार्य शुरु हो भी गया था पर पता नही किन्ही कारणों से पुल नही बन पाया। यह क्षेत्र आर्थिक रुप से और विकसित रुप से दोनो ही लिहाज से पिछड़ा माना जाता है। ये झारखण्ड का जो सीमा है बार्डर है अगर ये पुलिया बन जाये तो दोनो ही क्षेत्र का विकास होगा। बैराज बन जाने से हमे दिक्कत ये है कि बैराज बन जाने से यहा पर पुल नही बनेगा और पुल न बनने से यहा के लोगो की जो क्षती होगी उसकर भरपाई कभी नही होगी। जहा–जहा डुब क्षेत्र का जो सर्वे हुआ है, मुआवजा तो अपनी जगह है, जैसा कि हमसे पुर्व वक्ता ने कहा कि यदि 5 मिनट के लिए इस पानी को रोक दिया जाये तो यह पुरा इलाका डुब जायेगा। जब कन्हर नही मे बाढ़ आता है तो पुरसा नदी का पानी रुक जाता है और ऐसी स्थिति मे यहा के लोगो को पलायन करना पड़ जाता है। और अब जब आप इस पानी को ब्लाक करेंगे और झारखण्ड को देंगे वो भी ऐसे क्षेत्र को जहा से हमारा कोई लेना देना नही है। आप उस क्षेत्र को पानी दे रहे है और हमारे क्षेत्र को डुबा रहे है। इसका विरोध पुरे जनमानस मे है। बैराज बनने से कन्हर नही के किनारे बसे सभी गांव वालों को यहा से पलायन कर जाना होगा। आप चाहे लाख कह लो की एक, दो या तीन घर डुबेगा जब पानी आयेगा तो आपके अनुसार घरों को नही डुबायेगा। ऐसा सर्वे हुआ था अमवार मे वहा भी पहले बताया गया था की यहा एक भी घर नही डुबेगा। आज सत्ता शासन के लाग आकर वहा कह रहे है कि यह जगह खाली करो, यहा से यहा

5	श्री जगरनाथ राम भुंईया	अनिरूद्धपुर	हमको कहना है कि डोंगाघाट के पास में बरसात में बाढ़ आता है तो पूरा खेत में भी बाढ़ भर जाता है, धान एवं और फसल का नुकसान होता है। बैराज बनाने से तो पूरा इस आस पास का क्षेत्र डूब जायेगा, बैराज के लिए हमारा तो विरोध ही रहेगा।
6	श्री फेकन सिंह, सरपंच	अनिरूद्धपुर	बड़ी खुशी की बात है कि यहां पर शिविर लगा है, पर हमारे जनता को दुख हो रहा है, यहां पर खुरी बैराज के बनाने से हमारी जनता को लग रहा है, कि यहां बैराज बनाने से से यहां की जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यदि बैराज बनाना है तो 3 किलोमीटर उपर बनाने से फायदा होगा जल स्तर भी उपर उठेगा एवं दोनों राज्य की जनताओं को लाभ होगा।
7	श्री जवाहिर सिंह	अनिरूद्धपुर	यहां बैराज बनने से यहां की जनताओं का काफी नुकसान होगा, एवं हमें कहीं भी फायदा होता नहीं दिख रहा है, पूरा फायदा झारखण्ड को ही चला जा रहा है, इसलिए निवेदन है कि यहां बैराज नहीं बनाया जाये।
8	श्री रामस्वरूप सिंह	अनिरूद्धपुर	आज दिनांक 14.03.2018 को प्रोग्राम रखवाया गया है, इस संबंध में मेरा कथन है कि खुरी बैराज बनाने से नुकसान ही होने की संभावना है, पूरा फायदा झारखण्ड एवं बिहार को होगा, और मेरा जमीन भी कम है, बैराज बनाने नहीं दिया जावे।
9	श्री रामस्वरूप सिंह	अनिरूद्धपुर	माननीय कलेक्टर महोदय झारखण्ड से आये हुए अधिकारी गण सभी का का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। खुरी बैराज स्कीम जो झारखण्ड सरकार के तरफ से चल रहा है, वो भी फायदा सिर्फ झारखण्ड को ही मिलेगा, मेरा कथन है कि नुकसान एवं फायदा दोनो को बराबर होना चाहिए, एवं आम किसान जो लाभान्वित हैं, बैराज बनने से डूब हो जाने के कारण नुकसान ही होगा, बनाना ही है तो बैराज के जगह पुलिया का निर्माण कराया जाये।
10	श्री सर्किल सिंह	अबादी	बैराज बनने से नुकसान है, बनाना है तो पुल बनाने की कृपा करें।
11	श्री रामरतन सिंह	अनिरूद्धपुर	बैराज बनने से हमें काफी दिक्कत है। बनाना है तो बाराडीह मे बैराज बनायें।
12	श्री महावीर गुप्ता	अनिरूद्धपुर	बैराज बनने से से हमें काफी नुकसान है बनाना है तो पुल बनायें।
13	श्री सुरेन्द्र चौधरी	अनिरूद्धपुर	बैराज बनने से हम लोग डूब जायेंगे।

14	श्री सुरेश गुप्ता	अनिरूद्धपुर	बैराज बनने से हम लोग असमर्थ हैं। बैराज बनने से हमे नुकसान होगा। हम लोग घर भी डूब जायेगा।

15	श्री रामऔतार सिंह	अनिरूद्धपुर	सरकारी भूमि में लगभग 20 परिवार लोग जी रहे हैं। कन्हर नदी किनारे जी रहे हैं। बैराज बनने से हमें दिक्कत है। सभी लोग बेघर हो जायेंगे। इसलिए बैराज न बनने दिया जावे।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अनेक बार अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ, तब लगभग अपरान्ह 12:50 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री सुमित वर्मा, इंजीनियर मेसर्स मेन्टेक कंसल्टेन्ट नोएडा द्वारा परियोजना के सम्बंध में लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों एवं जिज्ञासाओं के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग अपरान्ह 12:55 बजे अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकसुनवाई समापन की घोषणा की गई ।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में कुल 06 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। लोक सुनवाई के दौरान 15 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 150 व्यक्ति उपस्थित थे जिनमें से उपस्थिति पत्रक पर कुल 43 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
बलरामपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (छ.ग.)